संख्याः – 1326 / ।।–2007–03(13) / 2004

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग देहरादूनः दिनांकः 08 नवम्बर, 2007

विषयः– **केन्द्रपुरोनिधानित योजना ''त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम'' के अन्तर्गत निर्माणाधीन 502 कलस्टर लघु सिंचाई योजनाओं हेतु धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 660 / ल0सिं0 / ए0आई0बी0पी0 / 2007–08 दिनांक 24.08.2007 एवं शासन के पत्र सं0 678 / ।।–2007–03(13) / 2004 दिनांक 20.06.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत मद में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के लिए स्वीकृत 502 निर्माणाधीन योजनाओं हेतु रू0 3050.34 लाख (रुपये तीस करोड पचास लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्याः 1210 / ।।–2005–04(02) / 2004 दिनांक 28.11.05 में निहित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जायें।

4– उक्त व्यय में बजट मैनुअल ,वित्तीय, हस्तपुस्तिका, टैण्डर / कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि की जनपदवार / खण्डवार फॉट स्वीकृत योजनाओं के अनुपात में की जाय।

6– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकि का प्रयोग किया जाय।

7– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

कमशः...............2

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग निर्धारित समयान्तर्गत तक कर लिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

10– ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं पर व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा ।

11– विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकि अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–20 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90 प्रतिशत के0स0), 0104–त्वरित सिंचाई लाभ योजना–24 बृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–240(P)/वि0 XXVII-4/2007 दिनांक 08 नवम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।

संख्याः – 1326/ II–2007–03 (13)/2004/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–4), उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
9. निदेशक, राष्टीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल हेतु।

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

V.P. SINGH\A I B P\g o A I B P do